रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2021] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2015/भाद्र 27, 1937
No. 2021] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2015/BHADRA 27, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 सितंबर, 2015

का.आ. 2569(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पश्चिमी बंगाल तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :-

(i)	प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार, कोलकाता	अध्यक्ष (पदेन)
(ii)	प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो	सदस्य (पदेन)
(iii)	प्रधान सचिव, सुन्दरवन कार्य विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो	सदस्य (पदेन)
(iv)	प्रधान सचिव, मत्स्य विभाग, पश्चिमी बंगाल या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो	सदस्य (पदेन)

(v)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सुन्दरवन जैव मंडल रिजर्व, वन निदेशालय, पश्चिमी बंगाल सरकार, पश्चिमी बंगाल सरकार	सदस्य (पदेन)
(vi)	प्रो. अमलेश चौधरी भूतपूर्व आचार्य एवं विभागाध्यक्ष समुद्री विज्ञान कलकत्ता विश्वविद्यालय, डी-44, अमरावती डाकघर, सोदपुर, 24 परगना, कोलकाता-700110	सदस्य (गैर सरकारी विशेषज्ञ)
(vii)	श्री संदीप चटर्जी, भूतपूर्व मुख्य इंजीनियर, जनस्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार, 58/101 प्रिंस अनवर शाह रोड, कोलकाता-70045	सदस्य (गैर सरकारी विशेषज्ञ)
(viii)	डा. पार्थसारथी चक्रवर्ती भूतपूर्व मुख्य विज्ञानी, भू-सूचना एवं आर एस सेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार (ए, नार्थन एवेन्यू, कोलकाता-700037)	सदस्य (गैर सरकारी विशेषज्ञ)
(ix)	प्रो. सुजाता हाजरा, निदेशक, समुद्र विज्ञान अध्ययन स्कूल, जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता-700032	सदस्य (गैर सरकारी विशेषज्ञ)
(x)	मुख्य पर्यावरण अधिकारी, पर्यावरण विभाग पश्चिमी बंगाल सरकार	सदस्य सचिव

2. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पश्चिमी बंगाल राज्य के क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :-

(i) पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार से तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों तथा तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या संशोधन करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना और तटीय विनियमन जोन की दृष्टि से भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 के उपबंधों के अनुसार विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना;

(ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है, के उपबंधों का अभिकथित उल्लंघन की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक पाया जाए तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विनिर्दिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हो;

(ख) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियमों के उद्देश्य से संबंधित है उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक पाया जाए तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों सहित पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को निर्दिष्ट करना:

परंतु इस उप पैरा के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन मामलों को स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यष्टि या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर प्राधिकरण द्वारा मामलों पर कार्रवाई की जा सकेगी;

(iii) उप-पैरा (i) और उप-पैरा (ii) के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन न होने की दशा में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करना;

(iv) उप-पैरा (i) और उप-पैरा (ii) से उद्‌भूत मुद्दों से संबंधित तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना;

3. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय मुद्दों जो उसे यथास्थिति, पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं का निपटारा करेगा ।

4. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजना तैयार करेगा ।

5. प्राधिकरण, संरक्षण परियोजनाओं के कार्यान्वयन या तटीय जनसंख्या संरक्षण आदि के उन्नयन से संबंधित परियोजनाओं का समन्वय करेगा ।

6. प्राधिकरण क्षरण या अपचय के लिए अति संवेदनशील तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा तथा उसके कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषण का प्रबंध करेगा ।

7. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सों की पहचान करेगा और उसके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजनाएं तैयार करेगा ।

8. प्राधिकरण, पूर्वोक्त पैरा 4, पैरा 6 और पैरा 7 के अधीन उसके द्वारा तैयार योजनाएं और उनमें परिवर्तनों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को जांच और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा ।

9. प्राधिकरण, अनुमोदित पश्चिमी बंगाल राज्य तटीय प्रबंधन जोन योजना और भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित सभी विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा ।

10. प्राधिकरण, अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय को छह मास में कम से कम एक बार प्रस्तुत करेगा

11. प्राधिकरण की बैठकों की गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगी और गणपूर्ति उपलब्ध न होने की दशा में, बैठक तीस मिनट के लिए स्थगित कर दी जाएगी और पुन: बुलाई जाएगी ।

12. प्राधिकरण का राज्य सरकार, वित्तपोषण अभिकरणों या परियोजना प्राधिकारियों आदि से प्राप्त निधियों या फीसों को जमा करने के लिए किसी राष्ट्रीय बैंक में अपना खाता होगा ।

13. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस आदेश और उक्त अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट इसके कृत्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने के लिए प्राधिकरण को पर्याप्त मात्रा में संसाधन, मानव शक्ति, निधियां उपलब्ध हों ।

14. प्राधिकरण, सभी आवश्यक उपाय और पहल करेगा, जिसमें कार्यक्रम का क्रियान्वयन, सूचना प्रसार, प्रशिक्षण, दिन-प्रतिदिन कार्याकरण के प्रति जागरूकता और समर्थन आदि सम्मिलित हैं और ऐसे उपयुक्त प्रक्रियाओं और साधनों को अंगीकृत करेगा जिसमें उसके लिए संसाधन वित्तपोषण आदि जुटाना भी सम्मिलित है ।

15. प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार राज्य के तटीय क्षेत्रों के तटीय विनियमन जोन मानचित्र तैयार करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण और पर्यावरण और वन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

16. प्राधिकरण, जिला तटीय जोन मानीटरी समितियों के कार्यकरण का नियमित रूप से पुनर्विलोकन करेगा ।

17. प्राधिकरण, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबद्ध योजना प्राधिकारियों, क्षेत्र अभिकरणों, जिला कलेक्टरों को निदेश देगा और उल्लंघन/अनुपालन के मामले में उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

18. वेतन और भत्ता जैसे यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, आसन फीस, क्षेत्र दौरा फीस आदि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए गए मंन्नियमों के अनुसार होंगे ।

19. प्राधिकरण, जब कभी अपेक्षा करे, अन्य विशेषज्ञ को बैठक के दौरान सदस्य के रूप में आमंत्रित करेगा ।

20. प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टत: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

21. प्राधिकरण, पर्यावरण विभाग से परामर्श करके उसे संवीक्षा फीस का वैसे ही उद्‌गृहीत कर सकेगा जैसे कि एक प्रदूषक सिद्धांतत: संदाय करता है।

22. प्राधिकरण तटीय विनिश्चय जोन निकासी के लिए सभी विषयों, प्राप्त प्रस्तावों या उसे निर्दिष्ट या उसके समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों की भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरणों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

23. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करने की शक्तियां अध्यक्ष और प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्रत्यायोजित की जाती हैं और प्राधिकरण की अगली बैठक में, ऐसे निदेशों, को, निदेश जारी करने के कारणों और उनकी प्रास्थिति को विनिर्दिष्ट करने वाली रिपोर्ट सहित प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा।

24. तटीय जोन प्रबंध योजनाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्राधिकरण का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह एक समर्पित वेबसाइट का सृजन करे और उस पर कार्यसूची, कार्यवृत्त, किए गए विनिश्चय, अनापत्ति पत्र, उल्लंघन, उल्लंघनों पर की गई कार्रवाई और न्यायालय मामले जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश सम्मिलित है तथा राज्य सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना भी डालेगा।

25. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

26. प्राधिकरण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित होगा।

[फा. सं. 12-8/2005-आईए-III]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, 11th September, 2015

S.O. 2569(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 or 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the West Bengal Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:-

(i)	Principal Secretary, Department of Environment, Government of West Bengal	Chairman (Ex-Officio)
(ii)	Principal Secretary, Department of Urban Development Government of West Bengal or his representative not below the rank of Joint Secretary	Member (Ex-Officio)
(iii)	Principal Secretary, Department of Sundarban Affairs, Government of West Bengal or his representative not below the rank of Joint Secretary	Member (Ex-Officio)
(iv)	Principal Secretary, Department of Fisheries, Government of West Bengal or his representative not below the rank of Joint Secretary	Member (Ex-Officio)
(v)	Additional Principal Chief Conservator of Forests, Sunderban Biosphere Reserve, Directorate of Forests, Government of West Bengal.	Member (Ex-Officio)
(vi)	Prof. Amalesh Chowdhury, Ex-Prof. and Head of the Department, Marine	Member

	Science, Calcutta University, D-44, Amarabati, P. O. Sodpur, 24 Parganas, Kolkata- 700 110	(Non-Official Expert)
(vii)	Shri Sandip Chatterjee, Ex- Engineer-in –Chief, Department of Public Health Engineering, Government of West Bengal, 58/101, Prince Anwar Shah Road, Kolkata- 700 045	Member (Non-Official Expert)
(viii)	Dr. Parthasarathi Chakrabarti, Former Chief Scientist, Geoinformatics and RS Cell, Department of Science and Technology, Government of West Bengal, (9A, Northern Avenue, Kolkata- 700 037	Member (Non-Official Expert)
(ix)	Prof. Sugata Hazra, Director, School of Oceanographic Studies, Jadavpur University, Kolkata- 700 032	Member (Non-Official Expert)
(x)	Chief Environmental Officer, Department of Environment, Government of West Bengal.	Member Secretary

2. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the State of West Bengal, namely:-

(i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan received from the State Government of West Bengal and making specific recommendations from Coastal Regulation Zone point of view as per the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19 (E), dated the 06th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii);

(ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, in so far as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the Authority may take up the cases under clauses (a) and

(b) of this sub-paragraphs, *suo motu* or on the basis of complaint made by an

individual or an representative body or an organisation;

(iii) filing complaints, under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii);

(iv) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii).

3. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the State Government of West Bengal, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government, as the case may be.

4. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.

5. Authority shall co-ordinate for implementing conservation projects or projects related to upliftment of coastal population protection, etc.

6. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas and arrange for funding for the implementation of the same.

7. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

8. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs 4, 6 and 7 above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

9. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of West Bengal and the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19(E), dated the 06th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii).

10. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority and the Ministry of Environment and Forests.

11. The quorum of the meeting of the Authority shall be one third of the total number of the members and in case the quorum is not available, the meeting shall be adjourned for thirty minutes and shall be reconvened.

12. The Authority shall have its Bank Account in the National Bank to deposit the funds or fees received from the State Government, funding agencies or project authorities, etc.

13. The State Government shall ensure that sufficient resources, manpower, funds are available to the Authority to discharge its functions effectively as specified in this order and the said Act.

14. The Authority shall take all necessary measures and initiatives including programme execution, research, information dissemination, training, awareness day to day functioning, and advocacy etc. and adopt suitable procedures and means including raising resources, funding, etc., for the same.

15. The Authority shall prepare and submit Coastal Regulation Zone maps of the coastal areas in the State as per the procedure laid down in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19 (E), dated the 06th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) to the National Coastal Zone Management Authority and the Ministry of Environment and Forests.

16. The Authority shall regularly review the functioning District Coastal Zone Monitoring Committees.

17. The Authority shall direct all concerned planning authorities, field agencies, district collector to ensure the compliance of provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19 (E), dated the 06th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and take suitable action in case of violations or non- compliance.

18. The pay and allowances such as Traveling Allowance, Dearness Allowance, Seating Fees, Field visit fees, etc., shall be as per the norms decided by the Central Government.

19. The Authority, whenever required shall invite other expert as a member during its meeting.

20. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

21. The Authority may levy scrutiny fees as a polluter pays principle in consultation with the Environment Department.

22. The Authority shall process all the matters, proposals received, referred to or placed before it for Coastal Regulation Zone Clearance as per the procedure laid down in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19 (E), dated the 06th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and clarifications and guidelines issued by Ministry of Environment and Forests.

23. The Powers of issuing directions under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19 (E), dated the 06th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) are delegated to the Authority and the Chairman of the Authority and in case the directions are issued by the Chairman, such directions shall be placed before the Authority in

its next meeting along with a report specifying the reasons for issuing of the directions and status thereof.

24. To maintain transparency in the working of the Coastal Zone Management Plans it shall be the responsibility of the Authority to create a dedicated website and post the agenda, minutes, decisions taken, clearance letters, violations, action taken on the violations and court matters including the Orders of the Hon'ble Court as also the approved Coastal Zone Management Plans of the State Government.

25. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

26. The Authority shall have its headquarters at Kolkata.

[F. No.12-8/2005-IA-III]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.